



पत्रांक-10/स्था0 व्यय आ0-36/2024-25

170/आ रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावाँ,
हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, लातेहार, दुमका, देवघर, खूँटी,
प0 सिंहभूम, गिरिडीह, बोकारो, पाकुड़ एवं साहेबगंज।

राँची, दिनांक-20-03-2025

विषय:- स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-01-राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु इकाईवार कुल ₹15,40,00,000/- (रूपये पंद्रह करोड़ चालीस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹15,40,00,000/- (रूपये पंद्रह करोड़ चालीस लाख) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ कोड में दिया गया है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003, 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 एवं 204, दिनांक-06.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।
- आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

Handwritten signature

कृ०पृ०उ०

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
9. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।
अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Shree.
20/3

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/स्था0 व्यय आ0-36/2024-25 - 170/3110 राँची, दिनांक-20-03-2025
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / संबंधित अपर समाहर्ता / संबंधित जिला

कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree.
20/3/xxv

सरकार के सचिव।

ym

10 / स्थापना व्यय आ०-36 / 2024-25.....1.7.0/37 रा०, राँची, दिनांक-20-03-2025

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-01-राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमीशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त राशि का आवंटन विवरणी :-

क्र.	कार्यालय	DDO Code	वेतन	संविदा भत्ता	वर्दी	योग
1	उपायुक्त, राँची	RNCLDR 006	0	0	570000	570000
2	उपायुक्त, लोहरदगा	LOHLDR 006	7500000	0	0	7500000
3	उपायुक्त, गुमला	GMLDAD 002	32500000	0	350000	32850000
4	उपायुक्त, सिमडेगा	SDGDAD 014	15000000	0	35000	15035000
5	उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ	SKLDAD 023	20000000	0	29100	20029100
6	उपायुक्त, हजारीबाग	HZBDAD 011	1500000	98400	0	1598400
7	उपायुक्त, रामगढ़	RGHDAD 046	4848000	236700	12500	5097200
8	उपायुक्त, पलामू	PLMDAD 024	20000000	0	212500	20212500
9	उपायुक्त, लातेहार	LTRDAD 002	3500000	0	75000	3575000
10	उपायुक्त, दुमका	DMKDAD 047	0	0	100000	100000
11	उपायुक्त, देवघर	DGRLDRA 39	20142000	0	0	20142000
12	उपायुक्त, खूंटी	KHNLDRK 21	0	993600	52500	1046100
13	उपायुक्त, प० सिंहभूम	SGHDAD 017	20000000	0	110000	20110000
14	उपायुक्त, गिरिडीह	GRDDAD 026	0	287400	85500	372900
15	उपायुक्त, बोकारो	BKRLDR 014	5010000	383900	77900	5471800
16	उपायुक्त, पाकुड़	PKRDADA 07	0	0	200000	200000
17	उपायुक्त, साहेबगंज	SBJDAD 017	0	0	90000	90000
कुल			150000000	2000000	2000000	154000000

(चन्द्रशेखर)
25/3/25

सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

